फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
		आज दिनांक 13.11.17 को पत्रावली पेश हुई [illegible] अनुसार दिनांक 06.12.17 को पेश हो।
		आज दिनांक 06.12.17 को पत्रावली पेश हुई [illegible] अवकाश/अन्य राजकार्य में व्यस्त है। [illegible] अनुसार दिनांक 20.12.17 को पेश हो।
	20/12/17	पत्रावली पेश हुई। मुलाहिजा फरमाया। प्रार्थना पत्र 07R11 सीपीसी पर अन्य-पक्ष की ओर से उपस्थित अधिवक्ता की बहस सुनी गयी वास्ते आदेशार्थ दिनांक 29.12.17 को पेश हो।
20/12/17 20/12/17		आज दिनांक 29/12/17 को पत्रावली पेश हुई [illegible] अवकाश/[illegible] है। अतः पत्रावली [illegible] आदेशार्थ 03/1/18 को पेश हो।
	03-1-18	पत्रावली पेश हुई। अन्य राज० कार्य में व्यस्तता की वजह से आदेश नहीं लिखवाया जा सका। पत्रावली वास्ते आदेशार्थ दिनांक 19/01/18 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी जयपुर (प्रथम), जयपुर
	19/01/18	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रस्तुत हुई। प्रार्थना पत्र 07R11 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल मिसल है। पत्रावली फैसल-शुमार नम्बर से कम हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम, जयपुर

वाद संः— 107 / 2016

रामगोपाल व अन्य बनाम श्रीमती कृष्णा व अन्य

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत ओदश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

निर्णयः दिनांकः—19.01.2018

प्रार्थीया/प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का सार संक्षेप में निम्नानुसार है, कि वादीगण ने उपरोक्त उनवानी वाद ग्राम विजयपुरा, तहसील व जिला जयपुर स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 9 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, 22 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा एवं 23 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा कुल किता 3 कुल 5 बीघा 12 बिस्वा जो कि साबिका खसरा नम्बर 35 एवं 36 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा से बने हैं, के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया है। वाद पत्र में वादीगण का यह कथन है कि उपरोक्त वर्णित भूमि वादीगण की पैतृक सम्पत्ति है और वादीगण संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है, जिनका विवादित भूमि में जन्मजात हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ने वादीगण के पिता स्वर्गीय श्री दामा पुत्र स्व. श्री चन्दा को गुमराह कर उक्त भूमि का विक्रय पत्र दिनांक 06.06.1992 को अपने हक में करवा लिया जो शून्य एवं व्यर्थ है।

वादीगण अपने पितामह द्वारा वर्ष 1992 में विधिवत तहरीर एवं तकमील किये गये विक्रय पत्र दिनांक 06.06.1992 को शून्य एवं व्यर्थ घोषित करवाना चाहते हैं, तथा दूसरी ओर वाद कारण भी वर्ष 1992 में उनके हकपूर्वाधिकारी स्वर्गीय श्री दामा पुत्र चन्दा द्वारा विधिवत तहरीर एवं तकमील किये गये विक्रय पत्रों के निष्पादन के 25 वर्ष पश्चात् उन्हें शून्य घोषित किये जाने का अनुतोष केवल मात्र व्यवहार न्यायालय को है, तथा राजस्व न्यायालय ऐसे वाद कि जिनमें विक्रय पत्र को शून्य घोषित करवाने का अनुतोष चाहा हो की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है, जिसकी वजह से वाद, वादीगण व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 उपनियम (डी) एवं (ए) के तहत विधि द्वारा वर्जित होने के कारण विचारण की प्रारम्भिक अवस्था में ही निरस्त किये जाने योग्य है।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में वाद के प्रस्तुतिकरण का जो कारण अंकित किया गया है वह भी वर्ष 1992 में निष्पादित विक्रय पत्र के आधार पर है उक्त वाद कारण के आधार पर वादीगण को केवल मात्र सक्षम व्यवहार न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त हो सकता है। ऐसी अवस्था में वाद वादीगण व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 की उपनियम (ए) के तहत निरस्त किये जाने योग्य है। वादीगण

द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किये जाने से पूर्व ही क्रेतागण के मध्य भूमि विवादग्रस्त का विधिवत विभाजन होकर उसका अलग-अलग खाते कायम हो चुके है जिसकी वजह से भी पूर्व प्रसारित निर्णय के विरूद्व कोई अनुतोष इस वाद पत्र के तहत प्रदान नहीं किया जा सकता है वादीगण का उक्त तथ्यों की प्रारंभ से ही पूर्ण जानकारी है किन्तु फिर भी समस्त तथ्यों को छुपाते हुए बदनियती पूर्वक अपने कुत्सित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रार्थी को अनावश्क हैरान व परेशान करने के लिए प्रस्तुत किया गया है, जो उपरोक्त वर्णित तथ्यों के प्रकाश में पूर्णतया सारहीन (Bogus Litigation) होने की वजह से निरस्त किये जाने योग्य है। व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के उप नियम - ए व डी के अनुसार माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद पूर्णतया विधि द्वारा वर्जित वाद होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में अंकित कथनों तथा वाद पत्र में वर्णित वाद कारण के अनुसार उक्त वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को नहीं होने के कारण, व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के नियम - ए व डी के तहत विचाराधीन वाद विधि द्वारा वर्जित होने तथा विधि के सुस्थापित सिद्वान्तों के विपरीत प्रस्तुत सारहीन वाद होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है।

प्रार्थना पत्र 07R11 CPC का जवाब अप्रार्थीध्वादीगण की ओर से निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया। जवाब निम्नानुसार है, कि वादीगण का उक्त पैतृक आराजी में जन्मजात हिस्सा 4/5 निहित है जिसको बेचान करने का अधिकार दामा को नहीं थे, ऐसी अवस्था में दावा हाजा घोषणाधिकार लाना आवश्यक हुआ है। वादीगण अपने जन्मजात अधिकार व हक की घोषणा करवाने के अधिकारी है जो राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है एवं जन्म जात अधिकार के विरूद्व हस्तान्तरण वादीगण के हितों के विरूद्व शुन्य प्रभावी है। मद नम्बर-5 में जिस प्रकार उल्लेख किया गया है स्वीकार नहीं है वास्तविकता यह है कि वाद पत्र के मद नम्बर 5 व 7 वास्तविक वाद कारण स्पष्ट करते है। प्रतिवादीगण द्वारा अक्टूबर, 2015 में एलानिया धमकी दी जाने पर व झगडा होने पर इसके मकान से उसने विवादित आराजी को अपने नाम दिनांक 06.06.1992 को करवा लिया से उत्पन्न हुआ है, ऐसी अवस्था में घोषणाधिकार का वाद लाना आवश्यक हुआ है। जो राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार में है। आदेश 7 नियम 11 में सिद्वान्त लागू नहीं होते इस वाद कारण सम्पूर्ण वाद पत्र को पढने एवं मद नम्बर 5 व 7 के उल्लेख स्पष्ट है कि वाद घोषणाधिकार व स्थायी निषेघाज्ञा का है जो राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 88 व 188 के अन्तर्गत है ऐसी अवस्था में सुनवाई के अधिकार श्रीमान् के क्षेत्राधिकार में है। वाद पत्र बाबत घोषणाधिकार एवं स्थायी निषेघाज्ञा का है जो राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है जो सिविल प्रक्रिया के आदेश 7 नियम 11 से बाधित नहीं है।

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर (प्रथम), जयपुर

न्यायालय द्वारा उभय-पक्ष की और से उपस्थित अधिवक्ता की बहस सुनी गयी तथा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र व उसके जवाब तथा वादी की और से प्रस्तुत वाद-पत्र का अवलोकन किया गया। वादीगण का यह कथन है कि वर्णित भूमि वादीगण की पैतृक सम्पत्ति है और वादीगण संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। प्रतिवादी/लगायत 4 ने वादीगण के पिता स्वर्गीय श्री दामा पुत्र स्व. श्री चन्दा को गुमराह कर उक्त भूमि का विक्रय पत्र दिनांक 06.06.1992 को अपने हक में करवा लिया, जो व्यर्थ है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में वादी को विक्रय पत्र को शून्य घोषित करवानें का अधिकार/क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। ऐसे में प्रार्थना-पत्र 07R11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है तथा वादी का वाद खारिज किया जाता है।

आज दिनांक 09.01.2018 को निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर प्रथम, जयपुर